भारत सरकार

वित्त मंत्रालय

वित्तीय सेवाएं विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 3246

जिसका उत्तर सोमवार, 16 दिसम्बर, 2024/25 अग्रहायण, 1946 (शक) को दिया गया

मैसूर में प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना (पीएमजेजेबीवाई) की कवरेज

3246. श्री यदुवीर वाडियार:

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) मैसूर में प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना (पीएमजेजेबीवाई) के कवरेज का ब्यौरा क्या है; और

(ख) मैसूर के उन पॉलिसीधारकों का ब्यौरा क्या है तथा उनकी संख्या कितनी है जिन्होंने इस योजना के अंतर्गत लाभ उठाया है?

उत्तर

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पंकज चौधरी)

(क) और (ख): प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना (पीएमजेजेबीवाई) एक सर्वसुलभ सामाजिक सुरक्षा योजना है जो 436 रुपये प्रति वर्ष के प्रीमियम पर किसी भी कारण से हुई मृत्यु के लिए जीवन बीमा कवर प्रदान करती है। 18 से 50 वर्ष के आयु वर्ग के सभी व्यक्ति जो बैंक/डाकघर खाताधारक हैं, इस योजना में शामिल होने के पात्र हैं। पीएमजेजेबीवाई के अंतर्गत जोखिम कवरेज 2 लाख रुपये का है। मैसूर जिले में पीएमजेजेबीवाई के कवरेज का विवरण नीचे दिया गया है:-

दिनांक 27.11.2024 तक	**पीएमजेजेबीवाई**		
	संचयी नामांकन	**भुगतान किए गए दावों की संचयी सं.**	**भुगतान की गई संचयी दावा राशि (करोड़ में)**
मैसूर (जिला)	5,12,175	3,448	68.96
स्रोत**:** सर्वसुलभ योजनाओं के लिए बैंक और अभिसरित योजनाओं के लिए बीमा कंपनियां।			

*****